Regarding issues pertaining to ?Kashi Dwar? Township Project

एडवोकेट प्रिया सरोज **(**मछलीशहर**) :** माननीय सभापति जी, आपका धन्यवाद । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्य, अभी शून्य काल चल रहा है । प्लीज आप बैठ जाइये ।

? (व्यवधान)

एडवोकेट प्रिया सरोज**:** माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान मछलीशहर संसदीय क्षेत्र के पिंडरा विधान सभा क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी । जो जनपद वाराणसी के पिंडरा तहसील के दस गांवों में काशी द्वार नाम की टाउनशिप बनाने की योजना थी । इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा लगभग 900 एकड़ जमीन लेने की योजना बनाई गई थी । ? (व्यवधान)

माननीय सभापति**:** माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठ जाइये । प्लीज आप सभी सहयोग कीजिए ।

? (व्यवधान)

एडवोकेट प्रिया सरोज **:** लेकिन इस फैसले का स्थानीय किसानों ने विरोध किया और धरना-प्रदर्शन किया । इसके बाद प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया कि काशी द्वार योजना फिलहाल स्थगित कर दी जाएगी । हालांकि, किसानों की ज़मीन की रजिस्ट्री और निर्माण कार्य पर रोक अभी भी लगी हुई है । इस वजह से किसान न तो अपनी ज़मीन बेच पा रहे हैं और न ही उस पर कोई निर्माण कर पा रहे हैं । पिंडरा वाराणसी क्षेत्र में आता है और हमारे प्रधान मंत्री जी भी वहीं से चुनकर आते हैं । मेरे पिंडरा क्षेत्र के किसान अपनी जरूरतें पूरी करने और आय के लिए अपनी ज़मीन पर निर्भर हैं । वे जमीन का छोटा टुकड़ा बेचकर बेटियों की शादी, घर बनाने या अन्य आवश्यक खर्च का इंतज़ाम करते हैं । लेकिन पिछले दो साल से जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगी हुई है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । इसके पहले भी 300 एकड़ ज़मीन कल्चरल सेंटर के लिए, 350 एकड़ एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए और 50 एकड़ सीआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए ली जा चुकी है । अब जो ज़मीन बची हुई है, किसान उसी पर खेती कर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं । आवास व शहरी विकास मंत्रालय से मेरी मांग है कि काशी द्वार योजना को पूरी तरह से रद्द किया जाए या इसे कहीं और बनाया जाए । किसानों की ज़मीन की रजिस्ट्री और निर्माण कार्य पर जो रोक लगी हुई है, उस रोक को हटाया जाए । ? (व्यवधान)